

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या  
15/05/2022

रजिस्ट्रेशन नं०  
2022/5

प्रवेश तिथि  
06/01/2022

निर्णय दिनांक  
31.01.2022

1. पंजाब नेशनल बैंक एक निगमित निकाय, प्रधान कार्यालय 7 प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली-110007 एवं शाखा कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक अजीतगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)

प्रार्थी

### बनाम

1. मैसर्स नारु इंटरप्राइजेज (प्रो० नारुराम पुत्र श्री गोदाराम), एच-87, रिको इंडस्ट्रीयल ऐरिया धिलौठ शाहजंहापुर, जिला अलवर (राजस्थान)
2. श्री नारुराम पुत्र श्री गोदाराम, वार्ड नं० 22, हाउस नं० 469, अम्बेडकर कॉलोनी, अजीतगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)
3. श्री रामलाल पुत्र श्री गोपीराम जाट, शाहपुरी रोड, अजीतगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण/ऋणी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

### —:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 20,00,000/-रूपये (Rupees Twenty Lakh Rupee Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 31.03.2021 को Total Aggregating Loan Amount Rs. (ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जज) सहित कुल 20,98,101.09/-रूपये (Rupees Twenty Lakh Ninty Eight Thousand One Hundred One And Paise Nine Only) है, की अदायगी नहीं की गई। तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति "एच-87, रिको इंडस्ट्रीयल ऐरिया धिलौठ, शाहजंहापुर अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 700 वर्ग मीटर है" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त "एच-87, रिको इंडस्ट्रीयल ऐरिया धिलौठ, शाहजंहापुर अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 700 वर्ग मीटर है" को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर

  
जिला कलक्टर, अलवर

उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-


- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार नीमराणा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



  
(नन्नुमल पहाड़िया)  
जिला मैजिस्ट्रेट, अलवर

